8/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील का मनन किया गया। दावा वादी डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर श्रु०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मीयाद से दा०द० हो सुनाया।

SDO(C)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/403/2015

वउनवान

1. गिर्राज पुत्र मोहरसिंह (मृतक) जरिये वारिस

1/1. सूरजमल पुत्र गिर्राज जाति गडरिया

2. मुल्लन पुत्र मोहरसिंह जाति गडरिया (तर्क)

3. मनोहरी पुत्र मोहरसिंह जाति गडरिया

4. मंगतू पुत्र बुद्दा जाति गडरिया निवासीयान

ग्राम सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर

2. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री राधाबल्लभ शर्मा एडवोकेट : वकील वादीगण

पैरोकार सरकार प्रतिवादीगण की ओर से उप0

निर्णय

दिनांक 08.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1190 रकवा 5 वीघा 13 विस्वा (1.43 हे0) ग्राम सौंख तहसील कठूमर में स्थित है। जो साविक खसरा नम्बर 778 रकवा 5 वीघा 19 विस्वा वाके ग्राम सौंख से बनाया गया है। उपरोक्त विवादित आराजी वादी संख्या 1 ला03 के 1/2 हिस्सा वादी संख्या 4 के 1/2 हिस्सा की संयुंक्त कब्जे का त खातेदारी की आराजी है। लक्ष्मणगढ तहसील का सैटलमेंण्ट संवत् 2028 में फाइनल हुआ। सैटलमेंण्ट कर्मचारियान कर्मचारियान ने खिलाफ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

कानून खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से उपरोक्त विवादित आराजी वावत वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी को खत्म कर गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया। जवकि सैटलमेंण्ट क़र्मचारियान को वादीगण की खातेदारी खत्म कर गैरखातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। सैटलमेंण्ट कर्मचारियान को पुराने खातेदारी के इन्द्राज ही वादीगण के नाम रिपीट करनी चाहिए थे। इस वजह से तमाम हाल राजस्व रेकार्ड हक हकूक वादीगण प्रारम्भ से ही भून्य नल एण्ड बॉयड तथा गलत है। वादीगण प्रतिवादीगण की जानकारी में निरन्तर वेरोक टोक भाांति पूर्वक कब्जे काश्त में है। वादीगण को विवादित आराजी वावत खातेदारी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से गेरखातेदारी के इन्द्राजों को कलमजन कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। तव वादीगण ने अपने अधिवक्ता के जरिये प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस मियादी 60 दिवस जरिये रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादीगण को भिजवाये लेकिन नोटिस प्राप्ति के वावजूद भी प्रतिवादीगण ने इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया। वादीगण ने धारा 80 (2) जा0दी0 के तहत अदालत हाजा से नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व ही दावा पेश करने की इजाजत लेकर दावा दुरूस्ती अदालत श्रीमान में पेश किया है जो दावा वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री कर दिया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने हाजिर होकर अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा वक्त बन्दोबस्त मौके पर वादीगण का कब्जा ना होने के कारण विवादित भूमि को गैरखातेदारी दर्ज की है जो सही दर्ज की है। बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज हो इस तरह का वादीगण ने कोई राजस्व रेकार्ड पेश नही किया है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2006 प्रदर्श–1, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2011 प्रदर्श 3, नकल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

गिरदावरी संवत् 2016 से 2019 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श 5 ग्राम सौंख की सत्य प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी मंगतु पी डब्ल्यू 1 गवाह सूरजमल पी डब्ल्यू 2 गवाह महेन्द्र भार्मा पी डब्ल्यू 3, गवाह मुनीर पी डब्ल्यू 4 के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जवाव दावा के आधार पर वाद में कुल 3 तनकियां कायम की गयीं जिनका विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है :–

1. आया आराजी खसरा नम्बर 1190 रकवा 1.43 हे. वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर के वादी संख्या 1 ला0 3–1/2 हिस्सा व वादी संख्या 4–1/2 हिस्से के खातेदार का तकार घोषित करवाये जाने के मुस्तहक है। इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण एंव पैरोकार सरकार की वहस सुनी तथा पत्रावली के तथ्यों जवाव दावा राजस्व रेकार्ड व वयान गवाहान का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1190 का साविक खसरा नम्बर 772 है। विवादित आराजी वर्तमान में वादीगण की गेरखातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि नहीं है और ना ही अलॉटशुदा भूमि है। बल्कि यह आराजी वादीगण के वुजुर्गान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। बन्दोबस्त विभाग ने गैरखातेदारी दर्ज कर दिया। बन्दोबस्त विभाग को गैरखातेदारी में दर्ज करने का अधिकार नहीं था। वादीगण का संवत् 2011से लगातार कब्जा रहा है तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में मोहरसिंह हिस्सेदार दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2019 में मोहरसिंह वुद्या की काश्त दर्ज है। उक्त आराजी कभी पोखर की नहीं रही और ना ही राजस्व रेकार्ड में कहीं पोखर दर्ज है। मौके पर उक्त आराजी पर पुराने समय से काश्त हो रही है। बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी वादीगण के नाम गेरखातेदारी में मनमाने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

तरीके से दर्ज की है जो दुरूस्त कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने कथनों की पुश्टि में कानूनी नजीर आर आर डी 1993 पेज 44 से 47 व आर आर डी 1990 पेज 16 से 19 की छाया प्रति पेश कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने अपनी वहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादीगण के कथनों का विरोध कर वाद वादीगण खारिज किये जानें की प्रार्थना की है।

मुताविक जमाबन्दी ग्राम सौंख संवत् 2006 के खसरा नम्बर 1190 रकवा 1.43 हे. गिर्राज़, मुल्लन, मनोहरी पुत्रान मोहरसिंह हिस्सा 1/2 मंगतू पुत्र वुद्दा हिस्सा 1/2 गडरिया सा0 देह गैरखातेदार व भूमि की किस्म बा0 अब्बल दर्ज है। प्रदर्श 2 मिलान क्षैत्रफल में हाल खसरा नम्बर 1190 का साविक खसरा नम्बर 772 रकवा 5 वीघा 13 विस्वा दर्ज है। प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2011 व प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2019 में साविक खसरा नम्बर 772 मोहरसिंह हिस्सेदार व भूमि की किस्म चिकनोट बारानी दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श 5 में हाल खसरा नम्बर 1190 मोहरसिंह व वुद्दा गडरिया गैरखातेदार व भूमि की किस्म बा0अ0 दर्ज है। विवादित आराजी सिवायचक या पोखर दर्ज रही हो इस तरह का प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज पेश नही किया है। गवाह पी डब्ल्यू से पी डब्ल्यू 4 विवादित आराजी पर हमेशा से वादीगण का कब्जा काश्त बताते है। पैरोकार सरकार ने तत्कालीन पटवारी हल्का समरथलाल मीना डी डब्ल्यू 2 के वयान लेखवद्व कराये है पटवारी हल्का ने भी वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा ना हो इस तरह का कथन नहीं किया है। तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में वादीगण व वादीगण के वुजुर्गान की काश्त दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में कहीं भी भूमि कस्टोडियन या अलौटमेंण्ट की दर्ज नहीं है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा विवादित आराजी गैरकानूनी तरीके से वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज करना सावित है। विवादित आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त सावित है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 2 – इस प्रकार से है कि आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1190 पर वक्त सैटलमेंण्ट वादीगण का मौके पर कब्जा नही था इस वजह से इसे सैटलमेंण्ट ने वादीगण की गेरखातेदारी दर्ज कर दी। इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। डी डब्ल्यू 2 पटवारी हल्का ने भी अपने वयान में वादीगण के लगातार कब्जे से इन्कार नहीं किया है। चूँकि तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की सावित हो चुकी है। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को सावित करने के लिये ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह सावित हो कि विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि या अलॉट ुदा भूमि हो या विवादित आराजी पर वन्दोबस्त विभाग से पूर्व या वर्तमान में वादीगण का कब्जा नही रहा। साविक रेवन्यु रेकार्ड से विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की व वादीगण का लगातार कब्जा का त सावित है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 दादरसी की है चूँकि तनकी संख्या 1–2 वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत हो चुकी है। प्रतिवादीगण किसी तरह की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री योगय पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1190 रकवा 5 वीघा 13 विस्वा (1.43 हे0) वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर का वादी संख्या 1/1 सूरजमल 3. मनोहरी को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 4 मंगतू को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी वावत राजस्व रेकार्ड में दर्ज गैरखातेदारी के इन्द्राज कलमजन किये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 08.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/403/2015

वउनवान

1. गिर्राज पुत्र मोहरसिंह (मृतक) जरिये वारिस

1/1. सूरजमल पुत्र गिर्राज जाति गडरिया

2. मुल्लन पुत्र मोहरसिंह जाति गडरिया (तर्क)

3. मनोहरी पुत्र मोहरसिंह जाति गडरिया

4. मंगतू पुत्र बुद्दा जाति गडरिया निवासीयान

ग्राम सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर

——— डिक्रीदारान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर

2. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

——— मदयूनान

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1190 रकवा 5 वीघा 13 विस्वा (1.47 हे0) वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर का वादी संख्या 1/1 सूरजमल 3. मनोहरी को 1/2 हिस्से का व वादी संख्या 4 मंगतू को 1/2 हिस्से का खातेदार का तकार घोशित किया जाता है। विवादित आराजी वावत राजस्व रेकार्ड में दर्ज गैरखातेदारी के इन्द्राज कलमजन किये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें।

आज दिनांक 08.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner